उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
दिनांक 08.10.2025

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/सं.प./10/25

मण्डल रेल प्रबन्धक . अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 10/2025

5.13. शंटिंग का नियंत्रण.–

(1) शंटिंग कार्य का नियंत्रण स्थावर सिगनल या हैंड सिगनल या मौखिक निर्देशों द्वारा किया जाएगा।

(2) किन्तु लोको पायलट सिगनलों पर ही पूरी तरह निर्भर न रह कर सदैव चौकस और सतर्क रहेगा।

(3) जब तक कि विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं कर दिया गया है, शंटिंग के दौरान गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

स.नि.5.13(1)(क) यह नियम लदे हुए या खाली बाक्स और बी.ओ.बी.एस. टाइप के बोगी मालडिब्बों पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी बनावट अधिक शंटिंग गति के लिए नहीं है। ऐसे अकेले मालडिब्बे की शंटिंग की जाय तो माल डिब्बे को अधिकतम अनुमत शंटिंग गति 5 से 6 कि.मी. प्रति घंटा की सामान्य शंटिंग गति तक सीमित रहेगी। जब किसी भी सिरे पर ट्राजीक्शन कपलरों के साथ आपस में जोड़े गए दो या अधिक बाक्स या बी.ओ.बी.एस. मालडिब्बों के ग्रुप की शंटिंग की जाय तो शंटिंग गति लगभग 2 कि.मी. प्रति घण्टा बहुत धीमी पैदल चलने की गति के अनुरूप होगी।

(ख) विस्फोटक, गैस, पेट्रोलियम, ज्वलनशील द्रव और ठोस वस्तुओं ऑक्सीडाइजिंग तत्वों, तेजाब, संक्षारक तथा जहरीले पदार्थों के माल डिब्बों के लिए शंटिंग गति, भारतीय रेल सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी की गयी रेड टेरिफ के अनुसार होगी।

स.नि.5.13(2) (क) (i) जब किसी गाड़ी की शंटिंग की जानी हो तो शंटिंग आदेश (टी/806) जारी किया जायेगा। स्टेशन मास्टर टी/806 फार्म जारी करेगा जिस पर गाड़ी के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ii) उन कोचिंग अथवा गुड्स यार्डों में, जहाँ नियमित रूप से शंटिंग होती रहती है, और शंटिंग शण्टर द्वारा की जाती है, यार्ड शंटिंग स्टॉफ द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, वहां टी/806 जारी करना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानों पर स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर द्वारा स्टेशन के संचालन नियमों के अनुसार लिखित में शंटिंग कार्य आदेश दिए जा सकते हैं अथवा मौखित रूप से ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं।

(iii) गाड़ियों के कर्षण को बदलने के लिए इंजनों को जोड़ने या अलग करने के लिए अथवा इंजन को बदलने के लिए, या उनके उलट–पुलट (रिवर्सल) के लिए, जहाँ ऐसी गतिविधियॉ (मूवमेंट) नियमित रूप से होती रहती है, वहाँ फार्म टी/806 दिया जाना आवश्यक नहीं होता।

(iv) शंटिंग आदेश केवल किये जाने वाले कार्य को दर्शायेंगे। शंटिंग संचालन के लिये सा. एवं स. नियमों तथा स्टेशन संचालन नियमों में दी गई कार्य पद्धति अपनायी जायेगी।

(ख) जिन स्टेशनों पर शंटिंग जमादार की व्यवस्था न की गई हो, उन स्टेशनों पर शंटिंग का पर्यवेक्षण करते समय यदि ट्रेन मैनेजर द्वारा विशेष एहतियात बरती जानी आवश्यक हो, तो उन स्टेशनों पर शंटिंग आदेश फार्म टी/806 में स्पष्ट रूप से इस संबंध में निर्देश दर्ज किए जायेंगे।

जिन स्टेशनों पर शंटिंग कर्मचारियों की व्यवस्था है, वहां यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऐसे एहतियातों का पूरी तरह पालन किया जाता है।

स.नि.5.13(3) इंजन बदलने वाले जंक्शन या गाड़ी के अन्तिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों पर सवारी तथा मिश्रित गाड़ियों की शंटिंग–इंजन बदलने वाले जंक्शन या टर्मिनल को छोड़कर अन्य स्टेशन पर, चाहे पूरी गाड़ी शंट करनी हो अथवा उसका कोई भाग, गाड़ी की सुरक्षित शंटिंग करने के लिए सवारी/मिश्रित गाड़ी का ट्रेन मैनेजर इंचार्ज जिम्मेदार है, चाहे वहां शंटिंग जमादार की व्यवस्था हो या न हो। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित बातों के लिए भी जिम्मेदार है।

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही वाहन जोड़ा या काटा गया है,

(ii) कि गाड़ी के जिस भाग की शंटिंग हो रही है वह उसके साथ जाने और आवश्यक सिगनल देने के लिए।

(iii) कि स.नि.5.14(1) के अनुसार सभी कांटे सही सैट किए जाते हैं और जिस सम्मुख कांटों पर शंटिंग हो रही है उन पर ताले लगा दिये गये हैं।

जब वाहन में यात्री हों और शंटिंग करनी हो तो शंटिंग कराने वाला व्यक्ति कम–से–कम दो बार सीटी बजाकर और ऊंची आवाज में घोषणा करके कि उनके वाहनों की शंटिंग होनी है, यात्रियों को चेतावनी अवश्य देनी चाहिये। शंटिंग संचालन

तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक सभी दरवाजे बन्द न कर दिए जाएं और पायदान यात्रियों से खाली नहीं हो गया हो।

स.नि.5.13(4) इंजन बदलने वाले या जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर सवारी और मिश्रित गाड़ियों की शंटिंग– इंजन बदलने वाले या जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर यार्ड मास्टर, यदि यार्ड मास्टर न हो तो, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, सवारी और मिश्रित गाड़ियों, चाहे पूरी गाड़ी हो या उसका कोई भाग, की सुरक्षित शंटिंग के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह इनके लिए भी जिम्मेदार होगा।

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही वाहन जोड़ा या काटा जाता है।

(ii) गाड़ी के उस भाग के साथ जाने के लिए जिसकी शंटिंग की जा रही है और आवश्यक सिगनल देने के लिए।

(iii) उन सभी कांटों को सही सेट करने और सम्मुख कांटों को ताला बन्द करने के लिए जिन पर सहायक नियम 5.14(1) के अनुसार शंटिंग की जाती है। ऐसे किसी स्टेशन पर जहां यह कार्य न तो यार्ड मास्टर और न ही स्टेशन मास्टर कर सकते हों तो वहां मण्डल रेल प्रबन्धक कार्य संचालन नियमों या कर्मचारियों की कर्तव्य सूची (ड्यूटी लिस्ट) में उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगा जो यह कार्य करेंगे।

जब किसी ऐसे वाहन की शंटिंग की जानी हो जिसमें यात्री सवार हों, तो शंटिंग कराने वाला व्यक्ति शंटिंग प्रारम्भ करने से पहले यात्रियों को चेतावनी देगा कि डिब्बों की शंटिंग की जाने वाली है। यह चेतावनी देने के लिए वह कम से कम दो बार सीटी बजायेगा और ऊंचे स्वर में यात्रियों को बतायेगा कि शंटिंग की जानी है। शंटिंग संचालन तब तक आरम्भ नही किया जायेगा जब तक कि सब दरवाजे बन्द न कर दिए जाये और पायदान यात्रियों से खाली न हों।

स.नि.5.13(5)(क) जिस स्टेशन पर शंटिंग जमादार की व्यवस्था नहीं है, वहां मालगाड़ियों की शंटिंग ट्रेन मैनेजरों की देख रेख में होगी।

मालगाड़ी का ट्रेन मैनेजर जिम्मेदार है–

(i) अपनी गाड़ी में से किसी वाहन के जोड़ने/काटने के लिए। उसे स्वयं शंटिंग की देखरेख और आवश्यक संकेत देने चाहिये। शंटिंग करने के आवश्यक अनुदेश ट्रेन मैनेजर को ड्यूटी का स्टेशन मास्टर देगा।

(ii) गाड़ी के जिस भाग की शंटिंग हो रही है उसके साथ जाने के लिए।

(iii) उन सारे कांटों को सही सेट किए जाने के लिए जिन पर शंटिंग की जानी हैं।

(iv) स.नि.5.14(1) के अनुसार सम्मुख कांटों को ताला लगाने के लिए, जिन कांटों पर शंटिंग की जानी है।

(ख) जब किसी छोटे स्टेशन पर कोई बाक्स मालडिब्बा गाड़ी को जोड़ा या काटा जाये तो ट्रेन मैनेजर यह देखेगा कि खाली/लदे बाक्स माल डिब्बे की सैटिंग सही है।

स.नि.5.13(6) जिस स्टेशन पर शंटिंग जमादार की व्यवस्था है, वहां माल गाड़ियों की शंटिंग –

(क) ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार माल गाड़ियों के वाहनों को जोड़ने और काटने का काम शंटिंग जमादार को करना होगा। यातायात निरीक्षक इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि शंटिंग जमादार शंटिंग संचालन से संबंधित नियमों को समझते हैं और जिन स्टेशनों पर उतार या चढ़ाव (ग्रेडिएण्ट) हैं वहां शंटिंग की जाती है तो शंटिंग जमादार द्वारा सभी आवश्यक एहतियात बरते जाते हैं। शंटिंग जमादार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स.नि.5.14(1) का पालन किया जाता है।

(ख) सही वाहन को उसकी गाड़ी में जोड़ने या काटने के लए हर स्थिति में ट्रेन मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

स.नि.5.13(7) स्टेशन यार्ड में पूरी गाड़ियों के शंटिंग के लिए ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी– जब भी किसी प्रकार पूरी गाड़ियों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंट करना हो, साइडिंग में लगाना या वहां से निकालना हो, जैसे क्रासिंग कराते समय या दूसरी गाड़ी को अग्रता देते समय, गाड़ी का इचार्ज ट्रेन मैनेजर शंटिंग का पर्यवेक्षण करेगा और निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगा।

(क) कि कांटे और क्रासिंग सही सैट किए गए हैं और स.नि.5.14(1) के अनुसार शंट के लिए सम्मुख कांटों में ताले लगा दिए गए हैं।

(ख) शंटिंग करने वाले लोको पायलट को आवश्यक संकेत दिखाने के लिए, और

(ग) शंटिंग के बाद यह देखने के लिए कि उल्लंघन चिन्ह साफ है।

स.नि.5.13(8) मैटीरियल ट्रेनों की शंटिंग की ट्रेन मैनेजर द्वारा पर्यवेक्षण– जिन वाहनों को जोड़ना या काटना है उनकी शंटिंग पूर्ण रूप से गाड़ी के इंचार्ज ट्रेन मैनेजर की निजी पर्यवेक्षण में होगी जो स्वयं आवश्यक संकेत दिखाने के लिए जिम्मेदार है। शंटिंग आरम्भ करने से पहले वह ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के अनुदेश अवश्य प्राप्त करे। शंटिंग के दौरान यदि कोई कर्मकार है तो उनकी सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतने की जिम्मेदारी भी ट्रेन मैनेजर की होगी।

स.नि.5.13(9) माल या अन्य साइडिंगों के अन्दर अथवा बाहर, जहाँ माल का लदान और उतराई हो रही है, वहाँ कर्मचारियों को सावधान करने और सावधानी से शंटिंग कराने की जिम्मेदारी जिन वाहनों पर माल के लदान या उतराई का काम हो रहा है उनकी या उन पर शंटिग आरम्भ करने से पहले उन वाहनों पर काम करने वाले क्लर्क या अन्य पदाधिकारियों को सावधान करने की जिम्मेदारी उस कर्मचारी की मानी जायेगी जिसके पर्यवेक्षण में शंटिंग हो रही है। इसके लिए क्लर्क या अन्य पदाधिकारी की अनुमति अवश्य ली जानी चाहिये और सूचना मिलने के बाद इस कार्य से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी को शीघ्रता से सावधान करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक जिन वाहनों पर काम हो रहा है उनके साथ हैंड शंटिंग या लूज शंटिंग, जिसमें उन लाइनों का उल्लंघन होता हो अथवा जिस पर काम हो रहा हो, शंटिंग नहीं की जायेगी।

स.नि.5.13(10) आँधी के मौसम में शंटिंग– जब आंधी के मौसम में शंटिंग करनी हो तो शंटिंग यथासंभव कम लाइनों तक सीमित रखी जाये। प्रत्येक वाहन को, जो साइडिंग में रखा जाता है, पहले से रखे हुए किसी अन्य वाहन से जोड़ दिया जाये और उसके ब्रेक गिरा दिये जायें। जब किसी साइडिंग पर शंटिंग समाप्त हो जाये तो इसके बाद वाहनों को अवश्य जोड़ देना चाहिए और आखिरी वाहनों के पहियों में गुट्टी रोक (स्प्रेग्स) लगा देना चाहिए या जंजीर से बांध देना चाहिए।

स.नि.5.13(11) जुड़वा (कपल्ड) इंजनों से शंटिंगः– जुड़वा इंजन से शंटिंग की अनुमति नहीं है, सिवाय–

(क) जब पूरी गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंट करनी हो।

(ख) जब उतार या चढ़ाव (ग्रेडिएण्ट) के कारण शंट किया जाने वाला भार (लोड) एक इंजन से न खींचा जा सके।

स.नि.5.13(12) शंटिंग संचालन के दौरान जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) को साफ करना– शंटिंग कार्य से सम्बन्धित सभी कर्मचारी शंटिंग अवधि में रेल क्रासिंगों को साफ रखने और गाड़ियों के गुजरने के लिए जिम्मेदार होंगे। दो लाइनों के बीच क्लीयरेंस का पॉइंट सफेद स्लीपर द्वारा दर्शाया जाता है।

स.नि.5.13(13) वाहनों की हैंड शंटिंग– जब किसी वाहन की हैंड शंटिंग आवश्यक हो तो इसकी देख–रेख एक जिम्मेदार अधीनस्थ कर्मचारी को ही करनी चाहिए। मजदूरों या अन्य व्यक्तियों के बफर को धक्का देकर वाहनों की हैंड शंटिंग नही करने दी जानी चाहिये। वे या तो वाहनों के दोनों बफरों के बीच धक्का दें, या पटरियों से बाहर रहते हुये वाहनों को बगल से धक्का दें। स्टेशन कर्मचारी वर्ग के किसी जिम्मेदार सदस्य की आज्ञा से और उसकी व्यक्तिगत देख–रेख के सिवाय स्टेशन पर ठेकेदारों और व्यापारियों के मजदूरों को वाहन हटाने की आज्ञा न दी जाए। उक्त अनुदेश व्यापारियों की साइडिगों पर और प्लिंथ सर्विंग साइडिंगों पर और ऐसी ही दूसरी जगहों पर है जो व्यक्तिगत व्यापारों के लिए नियत है, पर वाहनों के संचलन पर लागू नहीं होंगे।

स.नि.5.13(14) चलते वाहनों को काटना– हम्प यार्डों में, धीमी गति के अलावा, चलते वाहन को अलग करना मना है।

स.नि.5.13(15) यात्रियों को वहन करने वाला कोई वाहन किसी स्टेशन पर रुकी हुई यात्रियों का वहन करने वाली गाड़ी के पीछे अवरुद्ध हुई लाइन पर खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।

स.नि.5.13(16) जब मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ने या काटने के लिए शंटिंग करनी हो तो शंटिंग इंजन को जोड़ने के लिए चलने से पहले गाड़ी से 20 मीटर दूर अवश्य रोका जाना चाहिए।

स.नि.5.13(17) यदि किसी स्टेशन की चालू लाइन पर कोई गाड़ी अथवा यात्रियों से भरे वाहन खड़े हों तो गाड़ी इंजन या बैंकिंग इंजन या शंटिंग इंजन, जिससे उस गाड़ी को शंटिंग करनी हो तो उसके सिवाय दूसरे इंजन को स्टेशन की परिचालित लाइन पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे इंजन के संचालन की अनुमति सिर्फ शंटिंग इंचार्ज के नियत्रंण में होनी चाहिए।

स.नि.5.13(18) सवारी गाड़ी की रनिंग लाइन के समीप की यार्ड लाइनों पर से माल डिब्बों अथवा अन्य स्टॉक जिस पर मरम्मत अथवा क्षतिग्रस्त का लेबिल लगा हो, अथवा उसमें लदा माल खतरे की सीमा से बाहर की ओर निकला हुआ हो, उनके शंटिंग समय का नियमन कुछ इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सवारी गाड़ी संचलन और उक्त शंटिंग में पर्याप्त अन्तर रहे। प्रत्येक मामले में कर्मचारियों को अत्याधिक सावधान रहना चाहिए और यदि तत्काल शंटिंग की आवश्यकता पड़ जाए तो भी आवश्यक सावधानी पूर्ण रूप से बरती जानी चाहिए।

नोटः–सवारी गाड़ी की शंटिंग के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी शंटिंग जमादार की रेंक से नीचे के कर्मचारी में निहित नहीं होनी चाहिये।

08/10/25

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः–

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।